

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2018/चैत्र 23, 1940 No. 154] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 2018/CHIATRA 23, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2018

फा.सं.1/शिशु पोषण/मानक/अधिसूचना/भा.खा.सु.माँ.प्रा./2016.—अधिसूचना संख्यांक ऍफ़. सं. 1/शिशु पोषण/मानक/अधिसूचना/भा.खा.सु.माँ.प्रा./2016 तारीख 13 मार्च, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड- 4, खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) तृतीय संशोधन विनियम, 2018 के पृष्ठ संख्या 2 में प्रकाशित भारतीय खाद्य सरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना में –

1. पृष्ठ 2 पंक्ति 3 में "2.1.9" के स्थान पर "2.1.19" पढ़ा जाएगा।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[**विज्ञापन-** III / 4 / **असा**. / 29 / 18]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Food Safety and Standards Authority of India) CORRIGENDA

New Delhi, the 11th April, 2018

F. No. 1/Infant Nutrition/Stds/Notification/FSSAI/2016.—In the notification of Food Safety and Standards Authority of India, published in the Gazette of India, at page 4 Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Third Amendment Regulations, 2018, Extraordinary, Part III, Section 4, Vide notification number F. No. 1/Infant Nutrition/ Stds/ Notification/FSSAI/2016, dated the 13th March, 2018,—1.Page 4, line 28, for "2.1.9" read "2.1.19".

PAWAN AGRAWAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./29/18]

2182 GI/201